

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 63/2016

प्रार्थी/वादी:-

1. तहसीलदार (भुगिधारी),
पाली

बनाम अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:-

1. बाबूलाल वल्द तेजमाल वल्द धारीवाल कौम जैन
साकिन 97 आदर्श नगर पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री बाबूलाल मेवाड़ा, विद्वान अग्रिभाषक प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955



—:निर्णय:—

दिनांक 28.02.2020

1. अप्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1199 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण बाबूलाल वल्द तेजमाल वल्द धारीवाल कौम जैन साकिन 97 आदर्श नगर पाली के हिस्से की भूमि में 3.10 बिघा भूमि पर कपड़ा फेक्ट्री रंगाई प्रिन्टिंग टेबले लगा कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नहीं रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बिघा में अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुंचा कर कृषि योग्य नहीं रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन होने से खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.01.2020 को वाद में परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी बाबूलाल की ओर से वाद की तरह कन्टेस्ट करने हेतु निवेदन करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को वाद में परिणित किया गया। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मौके पर फ़ैक्ट्री कपड़ा रंगाई प्रिन्टिंग टेबलें लगाकर पक्का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। एवं ना ही अकृषि कार्य उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी के द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि की उर्वरता को नष्ट करने का गलत आरोप लगाया है, वादी द्वारा कृषि भूमि की उर्वरता से संबंधित मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट वास्ते सबूत पेश नहीं की है। वादी द्वारा मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के बिना कृषि भूमि का कृषि योग्य नहीं होना तथा भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता का खत्म होना वादी द्वारा प्रतिवादी पर मनमर्जी से आरोप लगाना दर्शाता है तथा प्रतिवादी पर लगाए गए आरोप से संबंधित सबूत नहीं होने के कारण से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया गया परिवार खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में टंकित भूमि पर कोई भी अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि नगर परिषद सीमा क्षेत्र में आ जाने से प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग परिवर्तन करने हेतु नगर परिषद पाली में आवेदन कर दिया था। अतः परिवार का जवाब रामेश्वरी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादी के दावे की खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।



बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के दौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1199 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण बाबूलाल वल्द तेजमाल वल्द धारीवाल कौम जैन साकिन 97 आदर्श नगर पाली के हिस्से की भूमि में 3.10 बिघा भूमि पर कपड़ा फ़ैक्ट्री रंगाई प्रिन्टिंग टेबले लगा कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नहीं रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बिघा में अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृ

Rahni
सहायक कलेक्टर
पाली

षि भूमि को क्षति पहुंचा कर कृषि योग्य नहीं रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन होने से खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दायम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भूमि को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो इस प्रकरण में मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दायम भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फ़ैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके हैं। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा पाली प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दायम वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाकर नगर विकास न्यास, पाली को सूचित किया जावे।



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

डिकी बमुकदमें इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलारा- श्री रोहितारव सिंह तोगर, (आई.ए.एस.)

राजस्व चाद संख्या 60 सन् 2016

प्रार्थी/वादी:-

1. तहसीलदार (भुमिधारी),
पाली

रनाम अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:-

1. बाबूलाल वल्द तेजमाल वल्द धारीवाल कौम जैन
साकिन 97 आदर्श नगर पाली।

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरु श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी वहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री बाबूलाल मेवाड़ा, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिशा जाता है कि वादी का चाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार वाहर होने से डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिंगशून्य..... बाबत.....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसकी आज की तारीख से वसूलयानी तकशून्य..... को अदा करें।

बरिबत मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 सन् 2020 को



Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-	-	-	-
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

